सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण

औद्योगिक क्षेत्र-सतहरिया, जौनपुर

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

☎ सतहरिया- 05454-273304
05454-273669

पत्रांकः

दिनांकः.....................

सूचना

एत्दद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1117/79–वि–1–2020–2 (क)–17–2020, दिनांक 28 जुलाई, 2020 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है :–

1. यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में निम्नलिखित 'परन्तुक' बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ इस प्रकार आवंटित की गई किसी भूमि का उपयोग कब्जा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि, अथवा आवंटित किये जाने की शर्त के अन्तर्गत ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं किया जाता है वहाँ आवंटन और पट्टा विलेख रद्द हुआ माना जायेगा और उक्त भूमि प्राधिकरण के पास रहेगी, परन्तु यह और कि जहाँ पूर्वोक्त अवधि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व पहले ही व्यपगत हो गयी हो वहाँ प्राधिकरण आवंटी को ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह आवंटित की गयी थी, के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का प्रयोग करने के लिए नोटिस देगा और यदि उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर आवंटी भूमि का उपयोग नहीं करता है तो आंवटन और पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुआ माना जायेगा।"

तद्नुसार औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया के समस्त उद्यमियों/आवंटियों को सूचित किया जाता है कि जिनको आवंटित की गयी भूमि का उपयोग कब्जा के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, वे सभी उद्यमी सीडा प्राधिकरण में समय विस्तार हेतु नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराते हुए समय सीमा का विस्तारण कराकर निर्धारित अवधि दिनांक 28.07.2021 तक इकाई स्थापना व उत्पादन प्रारम्भ करने की कार्यवाही पूर्ण कर लें, अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा जारी उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,

(मनीष कुमार वर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर/
जिलाधिकारी, जौनपुर।